



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 541 राँची, गुरुवार, 13 अग्रहायण, 1947 (श०)
4 दिसम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

21 नवम्बर, 2025

संचिका संख्या:-4/आरोप-705/2025 का. 6780--झारखण्ड राज्य के अधीन राँची संस्करण में प्रकाशित समाचार पत्र में झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संतोष कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सी०जी०एल० परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में एसआईटी द्वारा दिनांक- 28.10.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना है ।

2. न्यायिक हिरासत में होने के फलस्वरूप श्री संतोष कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत कारा निरुद्ध की तिथि- 28.10.2025 के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

3. निलम्बन की अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है तथा श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।